



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक-29.04.2025

थाना बालैनी पुलिस द्वारा क्षेत्र के ग्राम हरियाखेड़ा की सोशल मीडिया पर मारपीट की वायरल वीडियो से सम्बन्धित मु0अ0सं0 57/2025 धारा 191(2)/191(3)/110/115(2)/ 131/352/351(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 26-04-2025 को थाना बालैनी पर वादी नरेश पुत्र स्व0 जगबीर सिंह निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-राहुल पुत्थार नरेश, 2-मोनू पुत्र गुल्लु, 3-केशव पुत्र लीलू, 4-गौरव पुत्र अमन सिंह, 5-रितांशु पुत्र स्व0ईश्वर, 6-सुमित पुत्र शिवकुमार उर्फ बबली, 7-मुकुल पुत्र वीरेन्द्र, 8-हिमान्शु पुत्र पिन्टू उर्फ करतार द्वारा उसके



साथ गाली-गलौच करते हुए डंडे व लोहे की रॉड से जान से मारने की नीयत से मारपीट की, जिससे वादी के सिर में काफी चोट आई व जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 56/25 धारा 191(2)/191(3)/110/115(2)/131/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही:-


बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 57/2025 धारा 191(2)/191(3)/110/115(2)/131/352/351(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-हिमांशु उर्फ भट्ट उर्फ कल्लू पुत्र करतार उर्फ दीपक उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-सुमित उर्फ ताउ पुत्र शिवकुमार उर्फ बबली निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-व0उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अनिल शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 35 सुनील कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 29.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान गैंगस्टर/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान

गैंगस्टर/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त के

कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारों का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जाकिर पुत्र इसराईल निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत । (एचएस नं० 900A)

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु०अ०सं० 112/16 धारा 392/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-मु०अ०सं० 123/2016 धारा 307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-मु०अ०सं० 125/2016 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-मु०अ०सं० 142/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।
- 5-मु०अ०सं० 08/2018 धारा 394/302/34 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 6-मु०अ०सं० 368/2017 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।
- 7-मु०अ०सं० 22/2018 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 8-मु०अ०सं० 453/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।
- 9-मु०अ०सं० 26/2019 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 10-मु०अ०सं० 0073/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 11-मु०अ०सं० 0272/2022 धारा 307 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 12-मु०अ०सं० 0190/2019 धारा 147/148/323/504/506 थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 13-मु०अ०सं० 0278/2022 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 14-मु०अ०सं० 0271/2022 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 15-मु०अ०सं० 0047/2023 धारा 3/10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

16-मु0अ0सं0 0280/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

17-मु0अ0सं0 0276/2024 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वाई थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 952 मोहित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 29.04.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 103/25 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 35 कि0ग्रा0 विद्युत एल्युमिनियम तार बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.02.2025 को थाना बड़ौत पर वादी नरेन्द्र प्रताप अवर अभियन्ता 33/11 केवी विद्युत तहसील/कोताना रोड़ थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा 33/11 के0 वी0 विद्युत लाइन में से कुल 1700 मीटर तार चोरी कर लिया है एवं विद्युत लाइन को



क्षतिग्रस्त कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 103/25 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग में दिनांक 28.04.2025 थाना बड़ौत पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलवस्था) में गिरफ्तार किया जा चुका है ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 103/25 धारा धारा 303(2)/324(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 35 कि०ग्रा० विद्युत एल्युमिनियम तार बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान पुत्र इकरामुद्दीन निवासी मौ० हिन्दन विहार थाना नन्दग्राम जनपद गाजियबाद।



### बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ 35 कि०ग्रा० विद्युत एल्युमिनियम तार।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-है०का० 633 रुस्तम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-का० 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 29.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इरफान पुत्र साबर अली उर्फ चाटन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1-मु0अ0सं0 275/2023 धारा 380 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-का0 577 अंकुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-हो0गा0 565 नरेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 29.04.2025

**थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-श्याम पुत्र हरिया उर्फ होशियार निवासी ग्राम सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-अनिल पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम खेडा हटाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-है0का0 414 मानसिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-का0 525 महेशचन्द थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-का0 775 मंजीत पूनिया थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक- 29.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

उत्तम पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुखराम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-हो0गा0 575 विनोद कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनाँक – 29.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

धीरज तोमर पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 952 मोहित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।